# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1584/2023**

देवेन्द्र कुमार जैन **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस., शासन उप सचिव, राहत प्रबंध कोष विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 22.06.2023

**आदेश की दिनांक** : 26.06.2023

<u>उपस्थित –</u>

**अपीलार्थी की ओर से** **:** श्री बनवारी लाल शर्मा, अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**शुचि शर्मा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में शासन उप सचिव के पद पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.04.2023 के द्वारा अपीलार्थी को अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं पदेन परियोजना अधिकारी, माण्डा, बीकानेर किया गया है, परंतु शासन सचिव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14.06.2023 के द्वारा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से निपटने एवं मानसून की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं होने के कारण अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.04.2023 को निरस्त किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है और आदेश दिनांक 19.06.2023 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी

संख्या 2 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित कर दिया गया। जबकि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 04.01.2023 के द्वारा स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया और इस प्रकार आलोच्य आदेश दिनांक 22.04.2023 एवं 19.06.2023 जारी किया जाना राज्य सरकार के उक्त परिपत्र के विरूद्ध है।

अतः आलोच्य आदेश दिनांक 22.04.2023 एवं 19.06.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के आदेश फरमाए जावें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन शासन उप सचिव के पद पर आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, जयपुर में कार्यरत है। इस अधिकरण के समक्ष यह तथ्य प्रकट हुआ है कि आपदा प्रबंधन सहायक एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पत्र दिनांक 20.06.2023 प्रेषित कर अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय/बाढ़ की स्थिति से निपटने एवं मानसून की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया जाना संभव नहीं है। विभाग के उक्त पत्र जनहित को ध्यान में रखते हुए दिया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में कार्मिक विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.04.2023 का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित किया जाता है तथा यह स्पष्ट किया जाता है कि तब तक अपीलार्थी को आलोच्य आदेश जारी होने से पूर्व स्थान पर यथावत कार्यरत रखा जावे। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित

समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**